तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज 474/2016 प्रा०प० 212	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 07, R 11 जा०दी० धारा 151 पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07, R 11 सपठित धारा 151 जा०दी० का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण गोरधन लाल, बडीलाल व मनोहर लाल ने अपने आप को स्व० श्री लक्ष्मी लाल जी के विधिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि जानकारी से यह सामने आया कि स्व० श्री लक्ष्मीलाल जी के पांच पुत्रिया जिनका नाम क्रमशः चदरी देवी, आनन्दी देवी, माया देवी, सकुन्तला देवी एंव प्रभा देवी भी है। प्रार्थीगणो ने उक्त तथ्य को छिपाया और उन्हे उक्त प्रकरण की सूचना दिये बगैर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पांचो पुत्रियो की आवश्यक पक्षकार है; जिनको पक्षकार नही बनाया है इसके अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नही होकर काबिल खारीज किये जाने योग्य है। तथा आवेदन-पत्र में कही भी यह अभिलिखित नही किया कि लक्ष्मीलाल जी कि पुत्रियो द्वारा उक्त आवेदन पत्र पेश करने मे सहमति दी या सहमति देने से मना किया। जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियो का भी पुत्रो के समान ही अधिकार है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित आवेदकगण योगेश कुमार, दादा जी व गोपाली देवी के ससुर रामचन्द	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	जी के छोटे भाई स्व० लक्ष्मी लाल के उत्तराधिकारी है या नही, इस आधार पर आवेदकगणो का मूल आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 जा०दी० 151 के तहत खारीज किये जाने योग्य है। प्रकरण मे उभय पक्षो की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थीगण राकेश जैन ने कथन किया कि पांच बेटियो को आवश्यक पक्षकार नही बनाया जाना और मिस जोईन्डर आफ पार्टी आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जा०दी० के दायरे मे नही आता है, और विपक्षीगणो द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जा०दी० को खारीज किया जावे। जबकि वकील विपक्षीगण देईलाल रणवा ने कथन किया कि स्व० श्री लक्ष्मीलाल जी की पाँच बेटियो को अनावश्यक पक्षकार को पार्टी नही बनाया तथा उनकी सहमति या सहमति देने से मना किया सबंधी किसी तथ्य का उल्लेख नही किया। अतः सी०पी०सी० आदेश 01 नियम 09 के तहत मिस जॉन्डर आफ पार्टीज का मामला है। तथा 151 के तहत कोर्ट को अन्तरणा पावर है। और तथा कथित आवेदकगण आवश्यक पक्षकार है या नही, यह स्पष्ट नही है। अत: तथाकथित आवेदकगण को पक्षकार	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

बनाना व आवश्यक पक्षकारों को पार्टी न बनाना कोर्ट की प्रक्रिया को गलत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसलिये सभी आवश्यक पक्षकारों को पार्टी बनाया जाना न्याय हित मे होगा, इस आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार फरमाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः न्याय हित मे विपक्षीगणो का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा